जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 24.04.2024**

थाना नहटौर पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को मृतक की ई-रिक्शा सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.04.2024 को वादी श्री गोपाल सिंह पुत्र चेतराम सिंह निवासी मौ0 बागवान छापेग्रान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहटौर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 18.04.2024 को वादी का बडा भाई राजेश ई – रिक्शा लेकर गया था, जिसका शव दिनांक 19.04.2024 को ग्राम डूंडा खेडी के जंगल में मिला था। वादी के भाई की अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या कर शव को गन्ने के खेत में डाल दिया। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 165/2024 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.जावेद पुत्र अनवर निवासी मौ0 काजीयान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर 2.जाकिर पुत्र अल्लादिया निवासी बैरमनगर कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर 3.फैसल पुत्र एहसान निवासी मौ0 सराय कोहना थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.04.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगणों 1.जावेद पुत्र अनवर निवासी मौ0 काजीयान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर 2.जाकिर पुत्र अल्लादिया निवासी बैरमनगर कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर 3.फैसल पुत्र एहसान निवासी मौ0 सराय कोहना थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण जावेद व जाकिर उपरोक्त की निशादेही पर मृतक की ई – रिक्शा को अभियुक्त फैसल से बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण जावेद व जाकिर ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों कस्बा नहटौर में गैस सिलेन्डर सप्लाई करने का काम करते है। हम लोगों पर काफी समय से कई लोगों के रूपये उधार थे, लेकिन हम उधार के रूपये नहीं चुका पा रहे थे। दिंनाक 18.04.2024 को हम ई रिक्शा चलाने वाले राजेश से मिले, जिसे हम कस्बा नहटौर मे ई – रिक्शा चलाने के कारण पहले से ही जानते थे। उसने हमको ब्याज पर रुपये दिलाने की बात कही तथा बदले में हमसे कुछ रुपये लेने भी तय किये थे। वो हम लोगो को ब्याज पर रुपये दिलाने की बात कहकर दिनभर घूमाता रहा लेकिन हमको रुपये नहीं मिले तथा हमसे अपने दिनभर की दिहाडी के रुपये मांगने लगा और कहासुनी करने लगा। इसी दौरान हम दोनों ने राजेश की हत्या करने की योजना बनायी।

योजनानुसार हम दोनो रात होने का इन्तजार करने के लिये आस पास के गाँवो एवं सडकों पर घूमते रहे। जब अंधेरा हो गया तो गाँव डून्डाखेडी के पास सुनसान जगह देखकर हमने लघुशंका के बहाने राजेश ई-रिक्शा रूकवायी तथा राजेश को ई – रिक्शा से उतारकर राजेश के गले मे पडे अंगोछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को सडक किनारे खेत मे डालकर राजेश की ई - रिक्शा को लेकर वंहा से चले गये तथा ई-रिक्शा फैसल के पास छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.जावेद पुत्र अनवर निवासी मौ0 काजीयान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.जाकिर पुत्र अल्लादिया निवासी बैरमनगर कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.फैसल पुत्र मौ0 एहसान निवासी मौ0 सराय कोहना थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा

बरामदगी का विवरण -

ई – रिक्शा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्र0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिहं सौलंकी थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री जयवीर सिहं प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 श्री रोबिन सिहं थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4.हे0कां0 792 प्रवीण कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
5.हे0कां0 584 संदीप कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
6.हे0कां0 609 आर्यन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
7.कां0 830 धर्मेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 24.04.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने लापता 07 वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों के किया सुपुर्द।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.04.2024 को थाना धामपुर पुलिस को एक 07 वर्षीय बच्ची नगीना चौराहे से आगे नगीना की तरफ जाते हुई मिली। बच्ची से उसके माता – पिता का नाम पूछा गया तो वह कुछ नहीं बता पाई। स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया एवं आस – पास के लोगो से जानकारी की गयी तथा बच्ची के परिजनो का नाम, पता तस्दीक कर बच्ची को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 दीपक कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.मु0 आरक्षी चालक सुनील सोरही थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा **दिनांक - 24.04.2024**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 44/24 धारा 147/148/452/323/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.04.2024 को वादी मौ0 फैजान पुत्र इरफानुद्दीन निवासी मौ0 पतियापाबाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.इमरान 2.अनस 3.मेहबान 4.नैमान पुत्रगण रिजवानुदीन 5.सलीम पुत्र फखरुदीन 6.रिजवानुदीन पुत्र मुस्तजाबुदीन समस्त निवासीगण ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व 03 व्यक्ति अज्ञात अभुयुक्तगण द्वारा वादी व वादी के परिजनों के साथ घर मे घुसकर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डों व धारधार हथियारो से हमला किया, जिससे उनके काफी चोटे आई। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 44/2024 धारा 147/148/452/323/307 भादवि बनाम इमरान, अनस, मेहबान, नुमान, सलीम , रिजवानुदीन व 03 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 504/506 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 44/24 धारा 147/148/452/323/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त सलीम पुत्र फखरुद्दीन निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट – उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त मेहरबान पुत्र रिजवानुदीन निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को दिनांक 12.04.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

सलीम पुत्र फखरुद्दीन निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1.थाना प्रभारी अन्नु कुमारी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2.प्रशिक्षु उ0नि0 कुलवीर सिहं थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

3. प्रशिक्षु उ0नि0 सोनू कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

4. का0 1841 अनुज शर्मा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 24.04.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा गुमशुदा होमगार्ड की सकुशल बरामदगी के संबंध में।

अवगत कराना है 117 होमगार्ड श्यामजी चौबे तैनाती जनपद गोण्डा की ड्यूटी लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 हेतु जनपद बिजनौर में लगी थी । उक्त होमगार्ड जनपद बिजनौर आकर लापवाही बरतते हुए नियत तिथि पर अपने गन्तव्य स्थान पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचा । इस संबंध में कन्टीजेन्ट इन्चार्ज रामसहाय वर्मा द्वारा उपरोक्त होमगार्ड की गुमशुदगी थाना कोतवाली शहर पर दर्ज करायी गई थी । थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुए उक्त होमगार्ड को सकुशल बरामद कर लिया गया है । उक्त होमगार्ड द्वारा जानबूझकर लापरवाही बरतते हुए ड्यूटी पर न पहुंचने के संबंध में रिपोर्ट संबंधित विभाग को प्रेषित की गयी है । अन्य कार्यवाही प्रचलित है ।

गुमशुदा का नाम व पता –

श्यामजी चौबे पुत्र देवकी नंदन चौबे निवासी ग्राम मोकलपुर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

बरामद करने वाली पुलिस टीम –

1.व0उ0नि0 मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 590 प्रशान्त कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.आरक्षी 1779 मंजीत खोखर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ　　　　**दिनांक – 24.04.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 128/24 धारा 323/332/353/427/504/506 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.04.2024 को थाना अफजलगढ की पीआरवी-2455 पर नियुक्त आरक्षी चालक मौ0 जीशान ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- मौ0 जैद 2- शान मौहम्मद पुत्रगण अब्दुल शमी निवासीगण मियाजी मौखा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा अपनी **XUV 300** गाडी नम्बर **UP20CC-9007** के हुये चालान से क्षुब्ध होकर व अपनी दुकान के सामने सरकारी जमीन पर खडी पीआरवी 2455 को हटवाने के लिये पीआरवी चालक मौ0 जीशान उपरोक्त के साथ अभद्रता की गयी तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 128/24 धारा 323/332/353/427/504/506 भादवि बनाम मौ0 जैद व शान मौहम्मद उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 128/24 धारा 323/332/353/427/504/506 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1- मौ0 जैद 2- शान मौहम्मद पुत्रगण अब्दुल शमी निवासीगण मियाजी मौखा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- मौ0 जैद पुत्र अब्दुल शमी निवासी मियाजी मौखा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2- शान मौहम्मद पुत्र अब्दुल शमी निवासी मियाजी मौखा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मौ0 जैद उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 777/07 धारा 147/148/323/332/353/504/506 भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 128/24 धारा 323/332/353/427/504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शान मौहम्मद उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 128/24 धारा 323/332/353/427/504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 कविराज सिंह पीआरवी 2455 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी चालक मौ0 जीशान पीआरवी 2455 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।